न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री,
RAS

प्रकरण संख्या –18/2021

दायर दिनांक– 04.02.2021

1. श्री छोगलाल पिता श्री गंगाराम जी धाकड़ उम्र–71 वर्ष निवासी डला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ मृतक के बजाय–
   (1/1) श्रीमती गीताबाई पत्नी छोगलाल धाकड़ उम्र–65 वर्ष निवासी डला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
   (1/2) श्री रामनिवास पिता छोगलाल धाकड़ उम्र–46 वर्ष निवासी डला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
   (1/3) श्री अमृतलाल पिता छोगलाल धाकड़ उम्र–39 वर्ष निवासी डला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
   (1/4) श्री भरत पिता छोगलाल धाकड़ उम्र–34 वर्ष निवासी डला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
   (1/5) श्रीमती राधाबाई पत्नी श्री शांतिलाल धाकड़ उम्र–49 वर्ष निवासी ग्राम शोभावली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
   (1/6) श्रीमती संतोषबाई पत्नी श्री मोहनलाल धाकड़ उम्र–43 वर्ष निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
   (1/7) श्रीमती सीताबाई पत्नी श्री गोविन्द धाकड़ उम्र–41 वर्ष निवासी डला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
2. श्री रामप्रसाद पिता चम्पालाल धाकड़ उम्र–39 वर्ष निवासी डला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ

.....अपीलाण्ट्स

बनाम

1. श्री औंकारलाल पिता भंवरलाल धाकड़ उम्र–वयस्क वर्ष निवासी डला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
2. श्री शोभाराम पिता प्यारचन्द धाकड़ उम्र–वयस्क वर्ष निवासी डला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
3. श्री राम पिता प्यारचन्द धाकड़ उम्र–वयस्क वर्ष निवासी डला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
4. श्री कमलेश पिता चम्पालाल धाकड़ उम्र–वयस्क वर्ष निवासी डला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
5. श्री जगदीश पिता भगवानलाल धाकड़ उम्र–वयस्क वर्ष निवासी डला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
6. श्री सीताराम पिता भगवानलाल धाकड़ उम्र–वयस्क वर्ष निवासी डला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
7. श्री रमेश पिता रतनलाल गायरी उम्र–वयस्क वर्ष निवासी डला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ

..... रेस्पोंडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.06.2020 पारित द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बसिलसिले मुकदमा नं0 33/2020

उपस्थितः—

1. श्री बी.एल. पालीवाल, अधिवक्ता वास्ते अपीलाण्ट।
2. श्री पी.सी. पालीवाल, अधिवक्ता वास्ते रेस्पोंडेण्ट संख्या 4 व 6

—:: निर्णय ::—

दिनांक— 16.07.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट व अन्य रेस्पोंडेण्ट के विरूद्ध ग्राम डला की आराजी नं0 201 व 202 जो उसके खाते में है, उसकी पत्थरगढ़ी करवाने का आवेदन दिनांक 17.06.2020 को पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दिनांक 17.06.2020 को ही पत्थरगढ़ी का आदेश कब्जे में दखल दिये बगैर किये जाने का पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 17.06.2020 से रूष्ठ होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11.07.2020 को पेश की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोंडेण्ट संख्या 4 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.सी. पालीवाल ने उपस्थिति दी। रेस्पोंडेण्ट संख्या 1,2,3 व 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी व उभय पक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट दोनों के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्याय के विपरीत होना बताते हुए यह वर्णित किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेकसम्मत् नहीं है, उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया की पालना नहीं की। रेस्पोंडेण्ट्स को नोटिस ही जारी नहीं किये। प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया तथा पत्थरगढ़ी में भी आदेश में कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करने का आदेश पारित किया है।

हमारे द्वारा सुनी गयी बहस, पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि सीमा ज्ञान के स्थान पर पत्थरगढ़ी एक अधिक व्यापक प्रावधान है जिसमें पक्षकारों के हक, अधिकार, हितों को सुनकर कोई आदेश पारित किया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध प्रकरण जिस दिनांक को प्रस्तुत हुआ, उसी दिनांक को आदेश पारित कर दिया। अपीलाण्ट विपक्षीगण को सूचित ही नहीं किया

न ही उन्हें सुना गया, अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में वह पक्षकारों को विधिवत् सुनवाई का अवसर देकर न्यायिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.09.2021 को उपस्थित हो।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर